



नपिण भारत मशिन

प्रलिमिस के लयि

नपिण भारत मशिन तथा भारत में शक्षिष से संबंधित अन्य पहलें

मेन्स के लयि

नपिण भारत मशिन : परचिय, उद्देश्य, लक्ष्य तथा महत्व; भारत में शक्षिष तथा नवीन शक्षिष नीतिका महत्व

चर्चा में क्यों?

शक्षिष मंत्रालय ने 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लयि राष्ट्रीय पहल - नपिण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मशिन की शुरुआत की है।

- इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

प्रमुख बटि

NEP 2020 का हसिसा:

- यह पहल **NEP (राष्ट्रीय शक्षिष नीति) 2020** के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है।
- इस नीतिका उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शक्षिष प्रणालियों में प्रविरतनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीतिने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शक्षिष नीति (NPE), 1986 को प्रत्यस्थापित किया।

उद्देश्य:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधाग्रहण को सुनिश्चित करने के लयि एक सक्षम वातावरण बनाना ताकग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लखिने और अंकगणति में वांछति सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।

केंद्रबटि के क्षेत्र:

- यह स्कूली शक्षिष के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शक्षिष की पहुँच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रति करेगा जैसे- शक्षिषक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शक्षिषक संसाधनों/शक्षिषण सामग्री का विकास तथा सीखने के प्रणालियों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना।


कार्यान्वयन:

- स्कूली शक्षिष एवं साक्षरता वभिग द्वारा NIPUN को भारत में कार्यान्वयन किया जाएगा।
- समग्र शक्षिष** की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
 - 'समग्र शक्षिष' कार्यक्रम तीन मौजूदा योजनाओं- सर्व शक्षिष अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शक्षिष अभियान (RMSA) और शक्षिषक शक्षिष (TE) को मलिकर शुरू किया गया था।
 - इस योजना का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शक्षिष को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है।
- निष्ठा** (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement- NISHTHA) के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy- FLN) के लयि एक वशिष पैकेज NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है।
 - इस वर्ष प्री-प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शक्षिषकों को FLN का प्रशक्षिषण प्रदान किया जाएगा।

- ० नष्टिः "एकीकृत शक्ति प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शक्ति की गुणवत्ता में सुधार" के लिये एक क्षमता नरिमाण कार्यक्रम है।
- पूर्व-प्राथमिक या बालवाटकी कक्षाओं के क्रम में चरण-वार लक्ष्य निर्धारित किया जा रहे हैं।

अपेक्षित परिणामः

- प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है तथा इससे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आएगी।
- गतिविधि-आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शक्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- खलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसी अभिवृत्ति अध्यापन कला कक्षा कार्य में इस्तेमाल की जाएगी जिससे लर्निंग (सीखना) एक आनंदमय और आकर्षक गतिविधि बनेगी।
- शक्तिकों का उच्च क्षमता नरिमाण उन्हें सशक्त बनाता है और अध्यापन कला चुनने के लिये अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है।
- शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, साक्षरता व संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे प्रस्तुप संबंधित और निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर बच्चे का समग्र विकास किया जाएगा जो उसके प्रगतिकार्ड में प्रलिखित होगा।
- इस प्रकार बच्चे तेजी से सीखने की क्षमता हासिल करेंगे जो उनकी शक्ति के बाद के जीवन परिणामों और रोज़गार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- चूँकि शक्ति ग्रहण हेतु हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलिये उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक-आर्थिक व अलाभकारी समूह को भी लाभ होगा, इस प्रकार समान तथा समावेशी गुणवत्तापूर्ण शक्ति तक पहुँच सुनिश्चित होगी।



//

भारत में शक्ति

संवैधानिक प्रावधानः

- भारतीय संविधान के भाग IV- राज्य के नीतिनिर्देशक सदिधांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषण के साथ-साथ समान और सुलभ शक्ति का प्रावधान है।
- 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शक्ति को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
 - केंद्र सरकार की शक्ति नीतियाँ एक व्यापक दशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनविराय नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु राज्य वर्ष 1968 की प्रथम शक्ति नीतिद्वारा निर्धारित त्रिभाषा फारमूले का पालन नहीं करता है।
- 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने शक्ति को अनुच्छेद 21-A के तहत लागू किया जाने योग्य अधिकार बना दिया।

संबंधित कानूनः

- **शक्ति का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शक्ति प्रदान करना और शक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
 - यह गैर-अल्पसंख्यक नजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत तथा समावेशी स्कूली शक्ति प्रणाली बनाने हेतु अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम-से-कम 25% सीटें वंचति वर्गों के बच्चों के लिये आरक्षित रखने का आदेश देता है।

सरकार द्वारा की गई पहलः

- **सर्व शक्ति अभियन्, मध्याह्न भोजन योजना**, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तथा शक्ति में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शक्ति नीति का परिणाम है।

सरोतः द हंडू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nipun-bharat-mission>